

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3
संख्या : 148०/८-३-१०-१७५विविध/०९
लखनऊ : दिनांक : २३अप्रैल, २०१०

कार्यालय-ज्ञाप

उ०प्र० आवास विकास परिषद क्षेत्र में भवन निर्माण संबंधी कार्यों के विनियमन यथा मानचित्र स्थीरूप, अनधिकृत निर्माण नियंत्रण एवं कम्पॉउन्डिंग आदि का कार्य शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2431/८-३-०९-१७५विविध/०९, दिनांक 28 मई, 2009 के द्वारा विकास प्राधिकरणों को स्थानान्तरित किया गया था। तत्काल में शासनादेश संख्या-2960/८-३-०९-१७५विविध/०९, दिनांक 27 जुलाई, 2009 द्वारा कठिपय निर्देश भी निर्गत किये गये थे।

2— इस संबंध में उक्त आदेश के विरुद्ध मधुर कोलोनाइजर प्रा० लि०, मेरठ द्वारा मा० उच्च न्यायालय लखनऊ बैच लखनऊ में दायर रिट याचिका संख्या-1365/एमबी/2010 मधुर कोलोनाइजर प्रा० लि० बनाम स्टेट आफ यू.पी. व अन्य में निम्नवत आदेश पारित किये गये है :- “We therefore, stay the operation of the order dated 28-05-09 passed by the state Government and further direct that the building plans submitted by the petitioner be considered for sanction by the U.P. Avas Evam Vikas Parishad, in accordance with rules, subject further orders of the court, expeditiously, without any further delay.”

3— अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरांत पूर्व में निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या-2431 / ८-३-०९-१७५विविध/०९, दिनांक 28 मई, 2009 एवं शासनादेश संख्या-2960 / ८-३-०९-१७५विविध/०९, दिनांक 27 जुलाई, 2009 को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

अरुण कुमार सिन्हा
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1— आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ।
- 2— अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण उ०प्र०।
- 3— उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण उ०प्र०।
- 4— मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र०।
- 5— अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु उ०प्र०।
- 6— अपर निदेशक, आवास बन्धु को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के बेवसाइट पर अपलोड करते हुए सर्व संबंधितों को इसकी प्रतियों उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7— मुख्य स्थायी अधिवक्ता, ना० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा लखनऊ बैच, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से


(राम निरंजन)
अनुसचिव।